"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-35/2015/वाक/पांच (68). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग-3 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम धारा 15क की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

(1) अनुसूची-2 के भाग-3 में सरल क्रमांक 7 के कॉलम (3) में, अंक "7" के स्थान पर अंक "8.5" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-35/2015/वाक/पांच (68). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-35/2015/वाक/पांच (68), दिनांक 30-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th November 2015

NOTIFICATION

No. F-10-35/2015/CT/V(68). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in part-III of Schedule-II of the said Act, the same having been previously published as required by sub-section (2) of Section 15A of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Act,-

(1) In column (3) of serial number 7 of Part III of Schedule II, for the figure "7", the figure "8.5" shall be substituted.

(2) This notification shall be effective from 1st December, 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.